राजस्व वाद संख्याः— 26/2019
मदन कुमार बनाम गोकलराम वगै0
निर्णय दिनांकः— 22.09.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 26/2019

1. मदन कुमार पुत्र नाथाराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

— वादीगण

बनाम

1. गोकलराम पुत्र नाथाराम उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणात्मक तरमीम दुरूस्ती एवं विभाजन</u>

:: निर्णय ::

दिनांक — 22.09.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) यह कि भूमि खेत खसरा न0 435 रकबा 16.09 है0 , ख0न0 433 रकबा 0.07 है0 गैमु0 कुआ ख0न0 434 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 16.22 है0 व ख0न0 163 रकबा 3.40 है0 ख0न0 341 रकबा 0.20 है0 ख0न0 161 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 कुआं कुल किता 03 कुल रकबा 3.63 है0 कृषि भूमि ग्राम कासनी में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दिये गये समझौतें से खातेदारी भूमि का विभाजन को सही मानते हुये नक्शे में बाद में बिना मौके की जांच किये की तरमीम को निरस्त करने का आदेश प्रतिवादी न0 02 को दिया जावें।

(ख) यह कि उक्त विभाजन अनुसार पुनः मौके की जांच करवाकर प्रतिवादी न0 02 को कब्जे काश्त के अनुसार नक्शे की जांच रिपोर्ट के अनुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रतिवादी न0 02 को दिये जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में हो धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन करवाना चाहते है। तहसीलदार से मौके की जॉच रिपोर्ट ली गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/20/818 दिनांक 19.03.2022 के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/20/818 दिनांक 19.03.2022।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/20/818 दिनांक 19.03.2022 के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 435 रकबा 16.09 है0 , ख0न0 433 रकबा 0.07 है0 गैमु0 कुआ ख0न0 434 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 16.22 है0 व ख0न0 163 रकबा 3.40 है0 ख0न0 341 रकबा 0.20 है0 ख0न0 161 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 कुआं कुल किता 03 कुल रकबा 3.63 है0 कृषि भूमि ग्राम कासनी में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा समझौतें से खातेदारी भूमि के विभाजन प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/20/818 दिनांक 19.03.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ राजस्व रिकार्ड में विभाजन प्रस्ताव में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.— 26/2019

निर्णय दिनांक :— 22-09-2022

मदन कुमार **बनाम** गोकलराम वगै0

दावा बाबत घोषणात्मक तरमीम दुरूस्ती एवं विभाजन

वादी की ओर से **श्री सोमवीर एड0** व प्रतिवादीगण की अनुउपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 22.09.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 435 रकबा 16.09 है0 , ख0न0 433 रकबा 0.07 है0 गैमु0 कुआ ख0न0 434 रकबा 0.06 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 16.22 है0 व ख0न0 163 रकबा 3.40 है0 ख0न0 341 रकबा 0.20 है0 ख0न0 161 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 कुआं कुल किता 03 कुल रकबा 3.63 है0 कृषि भूमि ग्राम कासनी में वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा समझौतें से खातेदारी भूमि के विभाजन प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/20/818 दिनांक 19.03.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका जॉच रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ राजस्व रिकार्ड में विभाजन प्रस्ताव में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner